

THE EAST INDIA CO.
SHEWAN TOMES & CO.
MADRAS 1887

सेवा में

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C.

★ लखनऊ: दिनांक: २६ मई २००३

विषय:-

[illegible]

भारत ५,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तदर्थित विधानय की ~~विधायिका~~ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 11 विधानय की पंजीकृत होनायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12 विधानय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13 विधानय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० या उ०शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विधानयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वस्तुक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्विफिकेट इकायमिना नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्यसरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः संपादित हो जायेंगे ।

School:

Manager

Principal
Unique International Public School
Murad Nagar (GZB.)

Unique International Public School
Muradnagar, (GZB.)

- 151 संस्था शैक्षिक एवं विज्ञान-तत्त्व संबंधी सेवाओं को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से संबंधित सेवाओं को अनुमति देते हैं तथा अन्य भत्ता से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिए जायेंगे ।
- 161 संबंधित सेवाओं की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित सेवाओं को अनुमति सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तय-तय पर आ आ आदेश निर्मित जिसे जायेगा संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/प्रक्रियाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों से राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन के बिना जोर्ड परिसर्तन/संसाधन/परिचालन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूक या शिथिलता परती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

प्रिंसिपल मुक्त
मुक्त अधिकारी ।

पुस्तक संख्या एवं दिनांक तैव

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुक्त** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मुक्त** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **मुक्त** ।
- 6- गार्ड फुल ।

Principal
Unique International Public School
Murad Nagar (GZB.)

Manager
Unique International Public School
Murad Nagar, (GZB.)

प्रेषक,

पी०एन० त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2012

विषय:-

यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मोदीनगर, गाजियाबाद को
जारी अनापत्ति पत्र में स्थान परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
शासन द्वारा संदर्भित विद्यालय को जारी अनापत्ति पत्र में सी०वी०ए०ई०, नई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु संशोधित करते हुए यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल,
मुरादनगर, गाजियाबाद कर दिया गया है।

2-

शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्व में जारी अनापत्ति पत्र के अनुसार ही
रहेगी।

भवदीय
Impathi
(पी०एन० त्रिपाठी)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 5- प्रबन्धक, यूनिक इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, मुरादनगर, गाजियाबाद।
 - 6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी०एन० त्रिपाठी)
अनु सचिव।

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी0सी0 / 11783-89 / 2020-21 दिनांक 26/2/2022

प्रबन्धक,

यूनिक इंटरनेशनल पब्लिक जू0 हा0स्कूल,

यूनिक चौपला मोदीनगर गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा आपने पत्र दिनांक 22-02-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी करते हुये विद्यालय का स्थान परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16-02-2022 भी संलग्न किया गया है। प्रबन्धक द्वारा नवीन भवन सम्बन्धी वॉछित सभी अभिलेख उपलब्ध कराये हैं।

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को प्राईमरी स्तर कक्षा 01 से कक्षा 05 तक की अस्थायी मान्यता कार्यालय के पत्र संख्या मान्यता/3785/2007-08 दिनांक 17-08-2007 द्वारा प्रदान की गई है। प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16-02-2022 के अनुसार विद्यालय का स्थान निम्नवत प्रस्तावित किया गया है।-

नवीन पता- यूनिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, यूनिक सिटी निकट गंग नहर मुरादनगर

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा मान्यता की शर्तों में किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को पूर्व में दी गई मान्यता स्थायी की जाती हैं। विद्यालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तित नाम एवं नवीन स्थान पर भवन सम्बन्धी मानकों को पूर्ण करने के आधार पर परिवर्तित नाम के साथ स्थान पर निर्मित नवीन भवन में विद्यालय संचालन की भी अनुमति प्रदान की जाती हैं। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 मान्यता-टी0सी0 /

/2020-21 तददिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।

Principal
Unique International Public School
Murad Nagar (GZB.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Manager

Unique International Public School
Muradnagar, (GZB.)

कार्यालय — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता-टी0सी0/4781-82 / 2020-21

दिनांक 26/2/2022

प्रबन्धक,

यूनिक इंटरनेशनल पब्लिक जू0 हा0स्कूल,

यूनिक चौपला मोदीनगर गाजियाबाद।

कृपया आप द्वारा आपने पत्र दिनांक 22-02-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विद्यालय की मान्यता स्थायी करते हुये विद्यालय का स्थान परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है। इस हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16-02-2022 भी संलग्न किया गया है। प्रबन्धक द्वारा नवीन भवन सम्बन्धी वॉछित सभी अभिलेख उपलब्ध कराये हैं।

प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को जूनियर स्तर कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की अस्थायी मान्यता मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल मेरठ कार्यालय के पत्र संख्या मान्यता/560-64/2008-09 दिनांक 29-04-2008 द्वारा प्रदान की गई है। प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 16-02-2022 के अनुसार विद्यालय का स्थान निम्नवत प्रस्तावित किया गया है।—

नवीन पता— यूनिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, यूनिक सिटी निकट गंग नहर मुरादनगर

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या—89/अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या—196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा मान्यता की शर्तों में किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को पूर्व में दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय द्वारा प्रस्तावित परिवर्तित नाम एवं नवीन स्थान पर भवन सम्बन्धी मानकों को पूर्ण करने के आधार पर परिवर्तित नाम के साथ स्थान पर निर्मित नवीन भवन में विद्यालय संचालन की भी अनुमति प्रदान की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण चौधरी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पू0सं0 मान्यता-टी0सी0/

/2020-21 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ।



Principal

Unique International Public School
Murad Nagar (GZB.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।


Manager

Unique International Public School
Muradnagar, (GZB.)